न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2019 (उदयपुर आर्डर)

शोभालाल पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मुख्य परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली, भारत
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुख्य कार्यालय 10–ए, पंचवटी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 26.02.2019 प्र०सं० 115/13

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एस.पी. गोस्वामी अभिभाषक रे.सं.1, 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

17–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भटेवर में आराजी नंबर 1073 रकबा 1 बीघा

8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी शोभालाल पिता शंकर मु. चांदी बेवा शंकर जणवा के नाम दर्ज है। टिप्पणी में इन्तकाल नंबर 1679 दिनांक 19–06–2004 अवाप्ति से आराजी नंबर 1073/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा सड़क को भा.रा.रा.प्रा. नई दिल्ली के नाम दर्ज की। शेष 7 बिस्वा खातेदार के रहेगा। इसी तरह की टिप्पणी में नामान्तरकरण संख्या 2494 दिनांक 23–03–2010 से आराजी नंबर 1073 मी. रकबा 7 बिस्वा में से 1.5 बिस्वा (162 वर्गमीटर) व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने की स्वीकृति हई। शेष आराजी नंबर 1073/1 रकबा 5.5 बिस्वा बदस्तूर रहा, लेकिन विपक्षीगण ने 1 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर अपाप्ति की आड़ में सहखातेदारी की 1.25 बिस्वा भूमि नाजायज अतिकमण कर लिया है, जबकि इस भूमि बाबत् अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे इस भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 1, 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर तनिक भी अतिकमण नहीं किया गया है। प्रार्थी ने मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करे हुए अपने निर्णय दिनांक 26–02–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री एस. पी. गोस्वामी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि विपक्षीगण के अतिकमी होने के पुख्ता सबूत होते हुए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो काबिल निरस्त के है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि जो भूमि अवाप्त की गयी है उसकी सारी कार्यवाही पूर्ण की जाकर अवार्ड भी जारी हो चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित को जा चुकी है। इस संबंध में किसी भी पक्षकार को यदि कोई आपत्ति है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(H) (5) (7) के तहत कार्यवाही का अधिकार एकल मध्यस्थ जिलाधीश उदयपुर को ही प्राप्त रहता है। अधिकारों से परे संस्थित की गयी कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में उक्त अधिनियम की नजीर भी प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलाकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार भूमि अवाप्त होकर उसका अवार्ड भी जारी हो चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर अनुसार ऐसी भूमियों के संबंध में श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवचन करते हुए प्रार्थी की जमीन पर विपक्षीगण का तनिक भी कब्जा होना नहीं माना है तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार विपक्षीगण को विवादित भूमि का खातेदार माना है, जो उपलब्ध साक्ष्यों की

रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझत हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–02–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर